न्यायमूर्ति जी. आर. मजीठिया के समक्ष

देस राज अरोड़ा - याचिकाएं

बनाम

भारत संघ और अन्य - उत्तरदाता

1982 का सिविल संशोधन संख्या 3268

21 नवंबर, 1990

मध्यस्थता अधिनियम (1940 का X) - धारा 14 (2) और 17 - परिसीमा अधिनियम (1963 का XXXVI) - धारा 5, 29 (2) और 37 (1) - दिल्ली न्यायालय में दायर न्यायालय के अधिनिर्णय नियम बनाने के लिए आवेदन - दिल्ली न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर आवेदन वापस करना - अंबाला में सक्षम न्यायालय में बाद में दायर आवेदन - गलत अदालत में उपचार का पीछा करने में बिताया गया समय लेकिन उचित परिश्रम और सद्भाव के साथ। सीमा की अविध से बाहर रखा जाना - आयोजित, मध्यस्थता अधिनियम एसएस की प्रयोज्यता को बाहर नहीं करता है।परिसीमा अधिनियम के 4 से 24 तक।

अभिनिर्धारित किया कि, परिसीमा अधिनियम, 1963 की वर्तमान धारा 29 (2) के तहत, परिसीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 में निहित सभी प्रावधान विशेष या स्थानीय कानून द्वारा ऐसे प्रावधान के बहिष्करण के अभाव में विशेष या स्थानीय कानून पर लागू होते हैं। अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि परिसीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 की प्रयोज्यता को बाहर रखा गया है। परिसीमा अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) अपने चरित्र में पूरक है क्योंकि यह ऐसे मामलों में धारा 4 से 24 के आवेदन का प्रावधान करती है जो उन प्रावधानों के दायरे में नहीं आएंगे। परिसीमा अधिनियम की धारा 14 में निहित प्रावधानों का वास्तविक प्रभाव उस अविध तक निर्धारित सीमा की अविध का विस्तार करना है जिसके दौरान वाद/कार्यवाही पर उचित परिश्रम और सद्भावना के साथ मुकदमा चलाया गया है, जो क्षेत्राधिकार के दोष या इसी तरह के अन्य कारण से विचार करने में असमर्थ है।

अभिनिर्धारित किया कि, याचिकाकर्ता ने दिल्ली की अदालत में अधिनियम के तहत अपने उपायों पर मुकदमा चलाया और जब दिल्ली अदालत द्वारा आवेदन को इस आधार पर वापस कर दिया गया कि उसके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो इसे चार दिनों के भीतर अंबाला में सक्षम अदालत में दायर किया गया था। याचिकाकर्ता दिल्ली की अदालत में अपने दावे के लिए मुकदमा चलाने में उसके द्वारा बिताए गए समय को बाहर करने का हकदार था और यदि ऐसा किया जाता है, तो इस निष्कर्ष से बचने का कोई रास्ता नहीं है कि आवेदन समय के भीतर दायर किया गया था।

(अनुच्छेद 7)

श्री के.सी.गुप्ता, वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, अंबाला की अदालत के दिनांक 5 अगस्त, 1982 के आदेश में संशोधन के लिए धारा 115 सी.पी.सी. के तहत याचिका, जिसमें भारतीय मध्यस्थता अधिनियम की धारा 17 के तहत आवेदक देस राज के आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

अजय मित्तल, एडवोकेट और जीएस संधावालिया। याचिकाकर्ता के लिए वकील । उत्तरदाताओं के लिए कोई नहीं।

निर्णय

न्यायमूर्ति जी. आर. मजीठिया:-

- 1. यह पुनरीक्षण याचिका ट्रायल जज के उस आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसमें भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (संक्षेप में, अधिनियम) की धारा 14 (2) और 17 के तहत याचिकाकर्ता के आवेदन को केवल इस आधार पर अदालत का नियम बनाने के लिए खारिज कर दिया गया था कि यह सीमा की अविध से परे दायर किया गया था।
- 2. याचिकाकर्ता ने फितयाबाद में "समाक्षीय भवन" और 4 नंबर टाइप -1 क्वार्टर के कार्य के निष्पादन के लिए कार्यकारी अभियंता के साथ एक समझौता किया। उपरोक्त समझौते से याचिकाकर्ता और प्रतिवादियों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ और इसे मध्यस्थता के लिए मुख्य अभियंता (सिविल), पी एंड टी सिविल इंजीनियरिंग विंग, नई दिल्ली को भेजा गया। मध्यस्थ ने 3 अप्रैल, 1978 को संदर्भ

में प्रवेश किया और 28 मार्च, 1979 को निर्णय दिया गया और याचिकाकर्ता को 27,713 रुपये की राशि प्रदान की गई। इससे पहले, पुरस्कार प्रदान करने का समय 31 मार्च, 1979 तक बढ़ा दिया गया था। याचिकाकर्ता को मध्यस्थ से नोटिस मिला कि 27 मार्च को फैसला सुनाया गया है। 1979. याचिकाकर्ता ने फैसले के खिलाफ आपितयां दर्ज करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखते हुए, यिद कोई हो, 21 अप्रैल, 1979 को जिला न्यायाधीश, दिल्ली की अदालत में तत्काल याचिका दायर की और इसे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दिल्ली को सौंपा गया। प्रतिवादी नंबर 1 ने 3 जुलाई, 1979 को आपितयां दर्ज कीं। याचिकाकर्ता ने कोई आपित दर्ज नहीं की और प्रार्थना की कि पुरस्कार को अदालत का नियम बनाया जाए। प्रतिवादी नंबर 1 ने प्रारंभिक आपित जताई कि अनुबंध अंबाला में दर्ज किया गया था और काम फितयाबाद में निष्पादित किया जाना था और इस तरह दिल्ली की अदालत के पास आवेदन की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था; यह कि मध्यस्थ ने याचिकाकर्ता को मुआवजे के रूप में 27,713 रुपये देने में खुद को गलत तरीके से पेश किया।

- 3. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दिल्ली, जिन्हें दिल्ली के जिला न्यायाधीश से स्थानांतरण पर आवेदन पर विचार किया गया था, ने 8 नवंबर, 1979 के अपने आदेश के तहत कहा कि दिल्ली की अदालत के पास आवेदन की सुनवाई करने के लिए कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं था। आवेदन 9 नवंबर, 1979 को वापस कर दिया गया था और इसे 12 नवंबर, 1979 को अंबाला में विरष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश की अदालत में दायर किया गया था। आवेदन के साथ, परिसीमा अधिनियम की धारा 14 के साथ धारा 5 के तहत एक आवेदन भी दायर किया गया था।
- 4. पक्षकारों की दलीलों पर, ट्रायल जज ने निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए: -
 - 1. क्या याचिका में उल्लिखित आधारों पर मध्यस्थ द्वारा सुनाया गया निर्णय निरस्त किया जा सकता है?
 - 2. क्या याचिका समय के भीतर है?
 - 3. यदि मुद्दा संख्या 2 साबित नहीं होता है, तो क्या देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त आधार हैं?

4. राहत

- 5. मुद्दा संख्या 1 के तहत, ट्रायल जज ने पाया कि 28 मार्च, 1979 का फैसला रद्द करने योग्य नहीं था। मुद्दा संख्या 2 और 3 के तहत, उन्होंने कहा कि पुरस्कार को अदालत का नियम बनाने के लिए आवेदन सीमा से परे दायर किया गया था और इन निष्कर्षों पर आवेदन को खारिज कर दिया गया था।
- विद्वान ट्रायल जज का दृष्टिकोण, कम से कम, विकृत है। उन्होंने तत्काल मामले के तथ्यों 6. पर लागू कानून के सही सिद्धांतों को समझने का प्रयास नहीं किया। परिसीमा अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) कहती है कि जब कोई विशेष या स्थानीय अधिनियम किसी म्कदमे, अपील या आवेदन के लिए प्रावधान करता है, परिसीमा अधिनियम दवारा निर्धारित अवधि से अलग सीमा की अवधि, तो यह विशेष या स्थानीय अधिनियम में प्रावधान है जो प्रचलित होगा और धारा में निर्दिष्ट सीमा को छोड़कर परिसीमा अधिनियम का प्रावधान नहीं होगा, अर्थात्, (i) कि धारा 3 अधिनियम की अन्सूची द्वारा निर्धारित अविध के लिए विशेष या स्थानीय कानून द्वारा निर्धारित अविध के रूप में लागू होगी; (ii) परिसीमा अधिनियम की धाराएं 4 से 24 केवल उस सीमा तक लागू होंगी जहां तक और उस सीमा तक कि वे ऐसे विशेष या स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बहिष्कृत नहीं हैं। परिसीमा अधिनियम, 1963 की वर्तमान धारा 29 (2) के तहत, परिसीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 में निहित सभी प्रावधान विशेष या स्थानीय कानून द्वारा ऐसे प्रावधान के बहिष्करण के अभाव में विशेष या स्थानीय कानून पर लागु होते हैं। अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि परिसीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 की प्रयोज्यता को बाहर रखा गया है। परिसीमा अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) अपने चरित्र में पुरक है क्योंकि यह ऐसे मामलों में धारा 4 से 24 के आवेदन का प्रावधान करती है जो उन प्रावधानों के दायरे में नहीं आएंगे। परिसीमा अधिनियम की धारा 14 में निहित प्रावधानों का वास्तविक प्रभाव उस अवधि तक निर्धारित सीमा की अवधि का विस्तार करना है जिसके दौरान किसी अदालत में उचित परिश्रम और सद्भावना के साथ म्कदमा चलाया गया है, जो अधिकार क्षेत्र के दोष या इसी तरह के अन्य कारण से विचार करने में

असमर्थ है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 37 (1) में प्रावधान है कि परिसीमा अधिनियम के सभी प्रावधान मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होंगे क्योंकि वे अदालतों में कार्यवाही पर लागू होते हैं, लेकिन अधिनियम की धारा 37 (5) को ध्यान में रखते हुए, धारा 37 की उप-धारा (1) में संदर्भित पूरे समय को बाहर नहीं रखा जाना है; यह केवल उस उप-धारा द्वारा सीमित अविध है, जिसे बाहर रखा जाना चाहिए और वह भी केवल तभी जब उसमें निर्धारित परीक्षण संतुष्ट हों।

7. तत्काल मामले में अधिनियम की धारा 14(2) और 17 के तहत याचिका 21 अप्रैल 1979 को जिला जज की अदालत में पेश की गई। याचिकाकर्ता को 29 मार्च, 1979 को प्रस्कार पर हस्ताक्षर करने के बारे में सूचना मिली। अधिनियम की धारा 17 के साथ धारा 14 (2) के तहत एक समग्र आवेदन दायर किया गया था और परिसीमा अधिनियम के अन्च्छेद 119 (ए) के तहत, प्रस्कार देने की सूचना की सेवा की तारीख के तीस दिनों के भीतर आवेदन दायर किया जाना था। अपीलकर्ता को 29 मार्च, 1979 को निर्णय देने की सूचना दी गई थी और 30 दिनों की सीमा की निर्धारित अविध समाप्त होने से बह्त पहले 21 अप्रैल, 1979 को आवेदन दायर किया गया था। दिल्ली कोर्ट ने 9 नवंबर, 1979 को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण याचिका वापस कर दी और इसे 12 नवंबर, 1979 को अंबाला के वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश की अदालत में दायर किया गया। यदि दिल्ली न्यायालय में याचिका पर म्कदमा चलाने में बिताए गए समय को छोड़ दिया जाए, तो याचिका सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत में सीमा के भीतर दायर की गई थी । याचिकाकर्ता दिल्ली की अदालत में अधिनियम के तहत अपने उपायों का पालन कर रहा था। श्री सतिंदर कुमार, अधिवक्ता, दिल्ली ने याचिकाकर्ता को दिल्ली की अदालत में अधिनियम की धारा 14 (2) के साथ धारा 17 के तहत आवेदन दायर करने की सलाह दी और उस सलाह पर कार्रवाई करते हुए, याचिकाकर्ता ने दिल्ली की अदालत में आवेदन दायर किया। वकील ने स्नवाई के दौरान कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय दवारा दिए गए फैसले के आधार पर उन्होंने याचिकाकर्ता को सलाह दी थी कि दिल्ली अदालत के पास आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है। ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर उनकी गवाही को खारिज कर दिया कि जिस अधिकार के आधार पर सलाह दी गई थी, वह

तत्काल मामले पर लागू नहीं था और गवाह किसी अन्य प्राधिकारी का उल्लेख नहीं कर सकता था जिसके आधार पर उसने अपने म्विक्कल को सलाह दी थी। ट्रायल कोर्ट दवारा इस गवाह के बारे में की गई टिप्पणियों से यह आभास होता है कि उसने गवाह दवारा अपने म्वक्किल को दी गई सलाह पर फैसले में बैठने की कोशिश की है। उन्होंने आगे एक राय व्यक्त की कि सलाह सही ढंग से प्रस्तृत नहीं की गई थी। याचिकाकर्ता एक आम आदमी है। उसे सलाह के लिए कानून के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ से संपर्क करना होगा। उन्हें सलाह दी गई थी और उस सलाह पर अमल करते हए, उन्होंने दिल्ली की अदालत में अधिनियम की धारा 14 (2) और धारा 17 के तहत आवेदन दायर किया था। उसके आचरण में कोई दोष नहीं पाया जा सकता। ए.डब्ल्यू.1 श्री सतिंदर कुमार, एडवोकेट ने गलत सलाह दी होगी, लेकिन उन्होंने ट्रायल में दोहराया कि उन्होंने सलाह दी थी और इसमें कोई गलती नहीं पाई जा सकती है। इन सिद्ध तथ्यों के आधार पर, इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सका कि याचिकाकर्ता ने दिल्ली की अदालत में अधिनियम के तहत अपने उपचार ों पर म्कदमा चलाया और जब आवेदन को दिल्ली की अदालत दवारा इस आधार पर वापस कर दिया गया कि उसके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो इसे चार दिनों के भीतर अंबाला में सक्षम अदालत में दायर किया गया था। याचिका में दिल्ली की अदालत में अपने दावे के लिए उनके द्वारा बिताए गए समय को बाहर रखने का अधिकार था और यदि ऐसा किया जाता है, तो इस निष्कर्ष से बचने का कोई रास्ता नहीं है कि आवेदन समय के भीतर दायर किया गया था। मृद्दा संख्या 2 और 3 के तहत ट्रायल कोर्ट के फैसले को रदद किया जाता है।

8. उपरोक्त कारणों से, यह पुनरीक्षण याचिका सफल होती है और इस हद तक चुनौती के तहत आदेश को चुनौती दी जाती है कि अधिनियम की धारा 14 (2) के तहत आवेदन सीमा से परे दायर किया गया था। मुद्दा संख्या 1 के तहत इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि मध्यस्थ का निर्णय रद्द करने के लिए उत्तरदायी नहीं है और इसे विपरीत पक्ष द्वारा खारिज नहीं किया गया है, निर्णय को न्यायालय का नियम बनाया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरणः स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है तािक वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

प्रियांक गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

यमुनानगर, हरियाणा